रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 2 जनवरी, 1988/ 12 पौष, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIEICATION

Shimla-4, *the* 28*th December*, 1987

No. 1-42/87-VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure & Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, "The Himachal Pradesh

Lokayukta (Third Amendment) Bill, 1987 (Bill No. 24 of 1987) having been introduced on the 28th December, 1987, in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is hereby published in the Gazette.

Sd/-
Secretary.

1987 का विधेयक संख्यांक 24.

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम संख्यांक 17) को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1987 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

नई धारा 10-क का समावेश।

2. हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की विद्यमान धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 10-क जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"10-क तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति:—(1) जहां लोक आयुक्त के पास जानकारी होने के फलस्वरूप या ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे —

(क) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति :—

(i) जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई समन या नोटिस जारी किया गया है या जारी किया जा सकता है, लोक आयुक्त द्वारा संचालित किसी जांच या अन्य कार्यवाहियों के लिए आवश्यक या उपयोगी या उससे सम्बन्धित किसी सम्पत्ति, दस्तावेज या वस्तु पेश नहीं करेगा या उसे पेश नहीं करवाएगा ;

(ii) जिसके कब्जे में, कोई धन, सोना-चान्दी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज है तथा ऐसे धन, सोना-चान्दी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज से पूर्णतः या अंशतः आय निरूपित होती है या ऐसी सम्पत्ति है, जिसका कि किसी प्रवृत्त विधि या नियम के प्रयोजन के लिए प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है, किन्तु ऐसा प्रकटीकरण नहीं करता है ; या

(ख) लोक आयुक्त यह समझता है कि उसके द्वारा संचालित की जाने वाली किसी जांच या अन्य कार्यवाहियों के प्रयोजनों की पूर्ति आम तलाशी या निरीक्षण द्वारा की जाएगी—

तो लोक आयुक्त तलाशी वारण्ट जारी कर सकेगा और वह या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उस तलाशी वारण्ट द्वारा :—

(i) किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा जहां उसे संदेह पैदा होता है कि पूर्वोक्त सम्पत्ति, दस्तावेज, धन, सोना-चान्दी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज उक्त भवन या स्थान में रखी गई है ;

(ii) उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी दरवाजे, सन्दूक, लाकर, सेफ, अलमारी या अन्य आधान-पात्र का, जिसकी चाबियां उपलभ्य न हों, ताला तोड़ सकेगा ;

(iii) ऐसी तलाशी करने पर पाई गई किसी सम्पत्ति, दस्तावेज़, धन, सोना-चान्दी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का अभिग्रहण कर सकेगा ;

(iv) किसी सम्पत्ति या दस्तावेज पर पहचान-चिन्ह लगा सकेगा या उसके उद्धरण या प्रतियां तैयार कर सकेगा या करवा सकेगा; या

(v) ऐसी किसी सम्पत्ति, दस्तावेज, धन, सोना-चान्दी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज पर टिप्पण कर सकेगा या उसकी तालिका तैयार कर सकेगा ।

(2) जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन तलाशी के लिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबन्ध लागू होंगे । 1974 का 2

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी किया गया वारण्ट, दण्ड प्राक्रिया संहिता, 1973 की धारा 93 के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किया गया वारण्ट समझा जाएगा ।" 1974 का 2

धारा 11 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) में,—

(i) "लोक आयुक्त" शब्दों के पश्चात् और "किसी" शब्द से पूर्व "या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे तथा धारा-11 की उप-धारा (1) (क) में "लोक आयुक्त" शब्दों का लोप किया जाएगा तथा धारा 11 की उप-धारा (ख) में "लोक आयुक्त" शब्दों के पश्चात् और "को" शब्द से पूर्व "या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) विद्यमान खण्ड (ख), खण्ड (ग) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा तथा ऐसे पुनः संख्यांकित खण्ड "(ग)" से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड "(ख)" जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(ख) किसी भूमि में प्रवेश कर सकेगा और उसका सीमांकन, सर्वेक्षण या नक्शा तैयार कर सकेगा ।"

नई धारा 13-क का समावेश ।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 13-क जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"13-क-प्रत्यायोजित करने की शक्ति,—

लोक आयुक्त, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त किन्ही शक्तियों का प्रयोग या अधिरोपित कर्त्तव्यों का, (धारा 12 के अधीन रिपोर्ट करने की शक्ति के सिवाय) निर्वहन, ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों या अभिकरणों द्वारा, जैसे धारा 13 के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं, भी किया जा सकेगा ।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

ऐसी आकस्मिकताएं उत्पन्न हो सकती हैं जब कि लोक आयुक्त को, हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 के अधीन अभिकथनों का अन्वेषण करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त कुछक अधिकारियों और अभिकरणों को, अपने कृत्यों का प्रत्यायोजन करने की आवश्यकता पड़े। यह भी पाया गया है कि लोक आयुक्त द्वारा वृक्षों क अवैध रूप से गिराए जाने सम्बन्धी प्राप्त अनेक परिवादों का अन्वेषण पूरा करने के लिए, स्पष्ट उपबन्ध न होने के कारण, लोक आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्वेषण अधिकारी के लिए किसी भूमि में प्रवेश करना या उसका सर्वेक्षण, सीमांकन तथा नक्शा तैयार करना कठिन हो जाता है।

पूर्वोक्त कठिनाइयों के निराकरण और लोक आयुक्त की संस्था को अधिक प्रभावकारी और परिणाम-मूलक बनाने के लिए, हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 को संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मंत्री।

शिमला :
28 दिसम्बर, 1987.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

अधिनियमित किए जाने पर विधेयक का खण्ड 4, लोक आयुक्त को, अधिनियम की धारा 13 के अधीन उसे सहयोग देने के लिए नियोजित अधिकारियों एवं अभिकरणों को, (मूल अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट से भिन्न) अपने कृत्यों को प्रत्यायोजित करने के लिए सशक्त करेगा।

यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य है।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Lokayukta (Tritiya Sanshodhan) Vidheyak,* 1987 (*Vidheyak Sankhyank* 24 *of* 1987) *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Bill No. 24 of 1987.

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (THIRD AMENDMENT) BILL, 1987

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (*Act No.* 17 *of* 1983)

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Third Amendment) Act, 1987.

2. It shall come into force at once.

Addition of new section 10-A.

2. After the existing section 10 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (hereinafter called the principal Act), the following new section 10-A shall be added, namely:— 17 of 1983

"10-A. *Power of search and seizure.*—(1) Where in consequence of information in his possession or after such inquiry as he thinks necessary, the Lokayukta,—

(*a*) has reason to believe that any person—

(*i*) to whom a summons or notice under this Act, has been or might be issued, will not or would not produce or cause to be produced any property, document or thing which will be necessary or useful for or relevant to any inquiry or other proceedings to be conducted by him,

(*ii*) is in possession of any money, bullion, jewellery, or other valuable article or thing and such money, bullion, jewellery or other valuable article or thing represents either wholly or partly income or property which has not been disclosed to the authorities for the purpose of any law or rule in force which requires such disclosure to be made, or

(*b*) considers that the purposes of any inquiry or other proceedings to be conducted by him will be served by a general search or inspection,

may issue a search warrant and he or any person authorised by him may, by that search warrant,—

(*i*) enter and search any building or place where he has reason to suspect that such property, document, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing is kept;

(*ii*) break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or other receptacle for exercising the powers conferred by sub-clause (i) where the keys thereof of are not available;

(*iii*) seize any such property, document, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing found as a result of such search;

(*iv*) place a mark of identification on any property or document or make or cause to be made extracts or copies therefrom; or

(*v*) make a note or an inventory of any such property, document, money, bullion, jewellery or other valuable article or thing.

2 of 1974 (2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, so far as may be, apply to searches under sub-section (1).

(3) A warrant issued under sub-section (1) shall, all purposes, be deemed to be a warrant issued by a Court under section 93 of the Code of Criminal
2 of 1974 Procedure, 1973."

Amendment of section 11.

3. In sub-section (1) of section 11 of the principal Act,—

(*i*) after the words "the Lokayukta" and before the signs ",—" the words "or any person authorised by him in this behalf" shall be inserted; and

(*ii*) the existing clause (*b*) shall be re-numbered as clause (*c*) and before clause (*c*) so re-numbered, the following new clause (*b*) shall be added, namely:—

"(*b*) may enter upon any land and survey, demarcate or prepare a map of the same;".

Addition of new section 13-A.

4. After section 13 of the principal Act, the following new section 13-A shall be added, namely:—

"13-A. *Power to delegate.*—The Lokayukta may, by a general or special order in writing, direct that any powers conferred or duties imposed on him by or under this Act (except the power to make reports under section 12) may also be exercised or discharged by such of the officers, employee or agencies referred to in section 13, as may be specified in the order."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Contingencies may arise when the Lokayukta may have to delegate his functions to some other officers and agencies employed by him to investigate the allegations under the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983.

It has also been notice that to complete the investigations in many of the complaints received by the Lokayukta relating to illicit felling of trees, in the absence of express provision, it becomes difficult for the Lokayukta, or the investigating officer authorise by him, to enter upon any land, survey, demarcate and prepare a map of the same.

To overcome these difficulties and make the institution of the Lokayukta more effective and resultoriented it has become necessary to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Shimla:
December 28, 1987

VIRBHADRA SINGH
Chief Minister

FINANCIAL MEMORANDUM

Nil

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill, when enacted, will empower the Lokayukta to delegate his function (other than those specified in section 12 of the principal Act) to the officers and agencies employed to assist him under section 13 of the Act.

This delegation is essential and normal in character.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।